

सं० सं०-एस0आई0पी0बी01604000104.....  
लेख में

दिनांक-

महालेखाकार (ले० एवं हक०),  
बिहार, पटना।

**विषय-** मेसर्स नावसी एग्रो कूल चैनस प्रा० लि०, पटना द्वारा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर गिद्धा, आरा (भोजपुर) में 300 मे० टन प्रतिदिन क्षमता का राईस ब्रान आयल मिल की ईकाई की स्थापना हेतु प्रथम किरत ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 22,38,109/- (मात्र बाईस लाख अठतीस हजार एक सौ नौ रूपए) मात्र अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

**आदेश:** स्वीकृत।  
महाशय

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेसर्स नावसी एग्रो कूल चैनस प्रा० लि०, पटना द्वारा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर गिद्धा, आरा (भोजपुर) में 300 मे० टन प्रतिदिन क्षमता का राईस ब्रान आयल मिल की ईकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट की बैठक दिनांक 21.08.2018 को स्टेज-1 तथा दिनांक 18.09.2018 की बैठक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम- 7 (2) (iii) में विहित प्रावधान के अंतर्गत प्रस्ताव में राशय प्रतिफल का अनुमान भी प्रायः है। यह ईकाई खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिकता सूची में है।

2. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत ईकाई के उत्पादन में आने के बाद ही अनुदान देय है। अतएव राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्यट सचिवालय के कार्यालय आदेश ज्ञापक SIPB1804000104/09 दिनांक 16.01.2019 के द्वारा श्री धीरेन्द्र कुमार, सहायक उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर द्वारा ईकाईयों का स्थल निरीक्षण कराया गया। जायदलों के द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में ईकाई को दिनांक 22.02.2017 से कार्यरत बताया गया है। ईकाई बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।

3. ईकाई को पूर्व में 30 दिसम्बर, 2018 तक प्रथम किरत ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 1,78,92,085/- (मात्र एक करोड़ अठहत्तर लाख आठहत्तर हजार पैंसठ रूपए) दिया जा चुका है।

4. ईकाई को द्वितीय किरत के रूप में 01 अक्टूबर, 2018 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ब्याज अनुदान के रूप में कुल रु० 22,38,109/- (मात्र बाईस लाख अठतीस हजार एक सौ नौ रूपए) के अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- (i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य और राशय कारण के बंद होती है तो भुगतान की गई अनुदान की राशि 18% बक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (ii) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक स्थापित मशीन-उपकरण, आधारभूत संरचना, भूमि की विक्री / लीज / हस्तांतरण किसी अन्य को नहीं किया जाएगा।
- (iii) अनुदान की राशय में कृति पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।
- (iv) ईकाई द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु झूठी उपधोषणा किए जाने, तपलक करार एवं कागजात के भविष्य में गलत पाए जाने पर भुगतान की गई अनुदान की राशि भुगतान की तिथि से 18% वार्षिक बक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल की जाएगी।
- (v) यदि ईकाई के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं लौटाई जाती है तो राज्य सरकार द्वारा Public Demand Recovery Act के अंतर्गत ब्याज सहित उक्त राशि की वसूली नु-राजस्व के बकयों के रूप की जाएगी।

4. उक्त राशि का व्यय वहन "राज्यदेश सं०-2060, दिनांक-11.08.18 एवं आदेशनादेश सं०-5131-Br(Allotment)-16/2018, Order No.-1480 dated-31.06.2018 के अंतर्गत में मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80-सामान्य, सधु शीर्ष 102-औद्योगिक उत्पादकता, गौग संख्या 23, उप शीर्ष 0160-ग्री प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23-2852801020166 विषय शीर्ष 0160.33.01 सार्वजनिक सप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में उपबन्धित राशि से विकल्पनीय होगा।

प्रमश मुष्ट-2

5. इस राशि को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
6. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
7. इस राशि की निकासी पूर्व प्राप्त रसीद पर बी० टी० सी० फार्म-26 पर की जाएगी।
8. इस राशि का भुगतान माकसी एग्री कूल चेन्स प्रा० लि० को उनके कॉरपोरेशन बैंक, पटना के खाता संख्या-560101000035896, IFS Code-CORP0003274 से RTGS के माध्यम से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(मंजुल कुमार सिंह)

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

दिनांक-

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०1804000104.....

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०1804000104.....

प्रतिलिपि विज्ञान विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ प्रेषित।

दिनांक-

ह०/-

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।

ज्ञापक—एस०आई०पी०बी०1804000104/373

प्रतिलिपि— महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भोजपुर को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियाँ से / आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / मेसर्स माकसी एग्री कूल चेन्स प्रा० लि०, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-08/03/19

उद्योग निदेशक

-सह-

सदस्य सचिव, एस०आई०पी०बी०

बिहार, पटना।